

म. 1 को पेश किया गया है
नहीं हुआ है इसलिए नोटिस में
पुनः पेश किया जा रहा है 10-1-18 को पेश

हो

10-1-18

वकील प्राथी उपो/अप्राथी सं. 2 की ओर
से प्रेरकार राज उपो/वकील प्राथी/अप्राथी
सं. 1 व 2 की रजिस्टर्ड नोटिस की डायरी
रसीदें पूर्व पेशी पर पेश की जा चुकी हैं
अप्राथी सं. 2 की ओर से प्रेरकार राज
उपो/अप्राथी सं. 1 को जारी नोटिस को
30 दिवस से अधिक समय हो चुका है
किन्तु अप्राथी संख्या- आज न्यायालय में
उपस्थित नहीं। इसके संदर्भ में आदेश उचित
आदेश दिया जावेगा। पञ्जावली वरते
उचित आदेश दिनांक 05-02-18 को पेश हो।

5-2-18 पञ्जावली वरते (पुष्टि) मूलकाठ में
आप्री वरते के साथ पञ्जावली वरते
20/2/18 को पेश हो।

20-2-18

मैं प्रथी उक्त प्रकरण
में कोई कार्यवाही
नहीं करता चलता

विजय मनमोहन

20/2/18

प्रथी एवं वकील प्राथी/अप्राथी द्वारा एक आदेश को
निवेदन किया कि वह इस प्रकरण में आपनी कोर्ट कार्यवाही
नहीं चाहता जिस पर वकील प्राथी द्वारा प्रकरण को नोटिस
किया गया। प्रथी एवं वकील प्राथी द्वारा प्रकरण में
कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते एवं प्रकरण को नोटिस
करने पर प्रकरण को खारिज किया जाता है।
पञ्जावली वरते के साथ प्रकरण को नोटिस
हो बाद आपनी वरते वरते वरते है।

(प्रमाणित आदेश)
उपलब्ध अधिकारी (रजिस्ट्रार)
स्वीगं न्यायालय